



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-1910

दिनांक- 19.10.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-ठाकुरगंज

- थाना ठाकुरगंज पुलिस द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, पीड़िता सकुशल बरामद ।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.10.2026 को वादी मुकदमा के द्वारा तहरीरी सूचना देकर अवगत कराया कि दिनांक 17/10/2026 को समय लगभग रात्रि 11:00 बजे विपक्षी राज राजपूत पुत्र रामगोपाल राजपूत निवासी सज्जादगंज गउघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ वादी की 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर शादी करने के इरादे से अपने साथ लेकर चला गया है ।

उपरोक्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-685/2026 धारा-87/137(2) बी.एन.एस. थाना ठाकुरगंज लखनऊ बनाम 01- राज राजपूत पुत्र रामगोपाल राजपूत निवासी सज्जादगंज गउघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ के पंजीकृत किया गया ।

02-कार्यवाही का विवरण-

ठाकुरगंज पुलिस टीम के द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर विपक्षी अभियुक्त 1- राज राजपूत पुत्र रामगोपाल राजपूत निवासी सज्जादगंज गउघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ 18 वर्ष 6 माह को धारा-87/137(2) बी.एन.एस. में गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया है, एवं पंजीकृत अभियोग में अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है । आरोपी की निशादेही पर पीड़िता को बरामद किया गया है, पीड़िता का मेडिकोलीगल परीक्षण एवं अन्य कार्यवाही की जा रही है ।

03-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)-

1. मु०अ०सं०- 0685/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राज राजपूत पुत्र राम गोपाल निवासी मोहल्ला सज्जादगंज गउघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 18 वर्ष 06 माह

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० शुभम सिंह चौकी प्रभारी गउघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ
2. उ०नि० श्री रितेश कुमार राय चौकी प्रभारी तहसीनगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ
3. का० मुलायम सिंह यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ
4. का० बलदीप कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ
5. म०का० शिखा शुक्ला थाना ठाकुरगंज लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-1910

दिनांक- 19.10.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-ठाकुरगंज

- थाना ठाकुरगंज पुलिस द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, पीड़िता सकुशल बरामद ।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.10.2026 को वादी मुकदमा के द्वारा तहरीरी सूचना देकर अवगत कराया कि दिनांक 17/10/2026 को समय लगभग रात्रि 11:00 बजे विपक्षी राज राजपूत पुत्र रामगोपाल राजपूत निवासी सज्जादगंज गउघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ वादी की 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर शादी करने के इरादे से अपने साथ लेकर चला गया है ।

उपरोक्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-685/2026 धारा-87/137(2) बी.एन.एस. थाना ठाकुरगंज लखनऊ बनाम 01- राज राजपूत पुत्र रामगोपाल राजपूत निवासी सज्जादगंज गउघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ के पंजीकृत किया गया ।

02-कार्यवाही का विवरण-

ठाकुरगंज पुलिस टीम के द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर विपक्षी अभियुक्त 1- राज राजपूत पुत्र रामगोपाल राजपूत निवासी सज्जादगंज गउघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ 18 वर्ष 6 माह को धारा-87/137(2) बी.एन.एस. में गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया है, एवं पंजीकृत अभियोग में अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है । आरोपी की निशादेही पर पीड़िता को बरामद किया गया है, पीड़िता का मेडिकोलीगल परीक्षण एवं अन्य कार्यवाही की जा रही है ।

03-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)-

1. मु०अ०सं०- 0685/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राज राजपूत पुत्र राम गोपाल निवासी मोहल्ला सज्जादगंज गउघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 18 वर्ष 06 माह

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० शुभम सिंह चौकी प्रभारी गउघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ
2. उ०नि० श्री रितेश कुमार राय चौकी प्रभारी तहसीनगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ
3. का० मुलायम सिंह यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ
4. का० बलदीप कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ
5. म०का० शिखा शुक्ला थाना ठाकुरगंज लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति : छठवाँ चरण

दिनांक- 19.10.2026

- मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत कमिश्नरेट लखनऊ के समस्त जोनों में महिला सुरक्षा, सशक्तीकरण एवं सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।
- दुर्गा पंडालों, मंदिर परिसरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, बालिकाओं एवं बच्चों को सुरक्षा, अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
- महिला हेल्पलाइन नंबरों के प्रति जागरूक किया गया।
- महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा गुड टच-बैड टच के संबंध में जानकारी दी गई।
- उत्तरी जोन में एसिड अटैक सर्वाइवर्स के प्रोत्साहन, मनोबल बढ़ाने एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु कार्यक्रम आयोजित।
- महिलाओं एवं बच्चों को उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता लेने तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया।
- बाल विवाह एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने हेतु जनभागीदारी पर जोर दिया गया।

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में श्रीमान पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा के निर्देशों के क्रम में दिनांक 19.10.2026 को कमिश्नरेट लखनऊ के समस्त जोनों में मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकारों एवं आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करते हुए शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं पुलिस सहायता सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई।

जोन-पश्चिमी

मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत चौक पुलिस द्वारा बड़ी काली जी मंदिर मेला परिसर में महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देशन एवं पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) के नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत थाना चौक पुलिस द्वारा बड़ी काली जी मंदिर मेला परिसर, चौक, लखनऊ में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों एवं सशक्तीकरण के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों, महिला सहायता सेवाओं तथा साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी देकर महिलाओं एवं बालिकाओं को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।

जोन-पूर्वी

उत्तर प्रदेश शासन की मंशानुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित 'मिशन शक्ति' (फेज-6.0) अभियान के तहत कमिश्नरेट लखनऊ में जोन पूर्वी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों द्वारा व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गोमतीनगर विस्तार और गुड़म्बा थाना क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाए गए।

गोमतीनगर विस्तार थाना क्षेत्र: अवधपुरम कॉलोनी स्थित दुर्गा पंडाल में थाना गोमतीनगर विस्तार की 'मिशन शक्ति' टीम द्वारा एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडाल में उपस्थित महिलाओं, युवतियों और बालिकाओं को शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों (जैसे- वीमेन पावर लाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181, और साइबर हेल्पलाइन 1930) के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। टीम ने बालिकाओं को बिना किसी संकोच के अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

गुड़म्बा थाना क्षेत्र: वहीं दूसरी ओर, थाना गुड़म्बा क्षेत्र के अंतर्गत **पिंक बूथ 97** की टीम द्वारा स्थानीय दुर्गा पंडालों एवं विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस कर्मियों ने महिलाओं और बच्चों से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें उनके कानूनी अधिकारों, गुड टच-बैड टच, साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। साथ ही, आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता प्राप्त करने के तौर-तरीके साझा किए गए। इस दौरान स्थानीय नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों ने पुलिस के इस सकारात्मक एवं सराहनीय प्रयास की भरपूर सराहना की।

जोन-मध्य

मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत मध्य जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में **पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा के निर्देशन एवं पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्री अर्पित विजयवर्गीय के नेतृत्व** में आज दिनांक 19.10.2026 को मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत मध्य जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों, स्वावलंबन तथा साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया।

प्रमुख गतिविधियां:

- **थाना हसनगंज पुलिस द्वारा** तिलक हांता दुर्गा पूजा पंडाल में महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों, महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी, यूपी कॉप ऐप एवं साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई।
- **थाना मदेयगंज पुलिस** की पिंक बूथ टीम द्वारा त्रिवेणी नगर डालीगंज क्रॉसिंग पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिला अपराधों की रोकथाम, एंटी रोमियो टीम, पिंक स्कूटी एवं महिला सुरक्षा केंद्र के संबंध में जानकारी दी गई तथा जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए।
- **थाना कैंट पुलिस** की मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीम द्वारा मरी माता मंदिर परिसर में महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा पुलिस सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रमों के दौरान महिला हेल्पलाइन **1090**, पुलिस आपातकालीन सेवा **112**, चाइल्ड हेल्पलाइन **1098**, महिला हेल्पलाइन **181** एवं साइबर वित्तीय धोखाधड़ी हेल्पलाइन **1930** सहित अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। महिलाओं एवं बालिकाओं को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में चुप न रहने तथा तत्काल पुलिस एवं संबंधित सहायता सेवाओं से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।

जोन-दक्षिणी

मिशन शक्ति फेज़-6.0 के अंतर्गत दक्षिणी जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित-

- **थाना सरोजनीनगर** पुलिस द्वारा ग्राम दरोगा खेड़ा में महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूक किया गया।
- **थाना गोसाईगंज** पुलिस द्वारा ग्राम सिटकीहा कला, अमेठी चौकी क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा एवं जागरूकता संबंधी जानकारी दी गई।
- **थाना नगराम पुलिस** द्वारा ग्राम ईश्वरीदेन खेड़ा, मजरा समेसी में एसिड अटैक से बचाव एवं उपचार, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, साइबर अपराधों तथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सरकारी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया गया।
- **थाना बिजनौर** पुलिस द्वारा शीतला माता मंदिर परिसर में महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों को एसिड अटैक, छेड़छाड़, पॉक्सो अधिनियम, गुड टच-बैड टच तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न जैसे अपराधों के संबंध में जानकारी दी गई।

जोन-उत्तरी

मिशन शक्ति फेज़-6.0 के अंतर्गत उत्तरी जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में महिला सुरक्षा एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, एसिड अटैक सर्वाइवर्स को प्रोत्साहित कर सहयोग प्रदान किया गया।

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में पुलिस आयुक्त, कमिश्नर लखनऊ श्री तरुण गाबा के निर्देशन एवं पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) श्री अमित कुमार आनंद के नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज़-6.0 के अंतर्गत दिनांक 19.10.2026 को उत्तरी जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, अधिकारों, महिला सशक्तिकरण एवं साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही एसिड अटैक सर्वाइवर्स के प्रोत्साहन एवं हैण्ड होल्डिंग हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रमुख गतिविधियां:

- **थाना रहीमाबाद, माल एवं मलिहाबाद** पुलिस द्वारा संबंधित क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, अधिकारों, साइबर अपराधों से बचाव तथा विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।
- **महिला थाना द्वितीय** की टीम द्वारा चंद्रिका देवी मंदिर परिसर में तथा **थाना महिगवां** पुलिस द्वारा उनई माता मंदिर परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिला सुरक्षा एवं सहायता संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई।
- **थाना बीकेटी** पुलिस द्वारा ग्राम बरगदी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर हेल्पलाइन नंबरों एवं साइबर सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही क्षेत्र में पैदल गश्त की गई।
- **एसिड अटैक सर्वाइवर्स के प्रोत्साहन एवं हैण्ड होल्डिंग कार्यक्रम** के माध्यम से उनका मनोबल बढ़ाने, आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करने तथा आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने पर जोर दिया गया।

उद्देश्य: मिशन शक्ति फेज़-6.0 के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने, बच्चों को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करने तथा साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने हेतु निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार के उत्पीड़न अथवा अपराध की स्थिति में तत्काल पुलिस एवं संबंधित हेल्पलाइन से संपर्क करें।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति : छठवाँ चरण

दिनांक- 19.10.2026

- मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत कमिश्नरेट लखनऊ के समस्त जोनों में महिला सुरक्षा, सशक्तीकरण एवं सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।
- दुर्गा पंडालों, मंदिर परिसरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, बालिकाओं एवं बच्चों को सुरक्षा, अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
- महिला हेल्पलाइन नंबरों के प्रति जागरूक किया गया।
- महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा गुड टच-बैड टच के संबंध में जानकारी दी गई।
- उत्तरी जोन में एसिड अटैक सर्वाइवर्स के प्रोत्साहन, मनोबल बढ़ाने एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु कार्यक्रम आयोजित।
- महिलाओं एवं बच्चों को उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता लेने तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया।
- बाल विवाह एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने हेतु जनभागीदारी पर जोर दिया गया।

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में श्रीमान पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा के निर्देशों के क्रम में दिनांक 19.10.2026 को कमिश्नरेट लखनऊ के समस्त जोनों में मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकारों एवं आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करते हुए शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं पुलिस सहायता सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई।

जोन-पश्चिमी

मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत चौक पुलिस द्वारा बड़ी काली जी मंदिर मेला परिसर में महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देशन एवं पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) के नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत थाना चौक पुलिस द्वारा बड़ी काली जी मंदिर मेला परिसर, चौक, लखनऊ में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों एवं सशक्तीकरण के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों, महिला सहायता सेवाओं तथा साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी देकर महिलाओं एवं बालिकाओं को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।

जोन-पूर्वी

उत्तर प्रदेश शासन की मंशानुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित 'मिशन शक्ति' (फेज-6.0) अभियान के तहत कमिश्नरेट लखनऊ में जोन पूर्वी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों द्वारा व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गोमतीनगर विस्तार और गुड़म्बा थाना क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाए गए।

गोमतीनगर विस्तार थाना क्षेत्र: अवधपुरम कॉलोनी स्थित दुर्गा पंडाल में थाना गोमतीनगर विस्तार की 'मिशन शक्ति' टीम द्वारा एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडाल में उपस्थित महिलाओं, युवतियों और बालिकाओं को शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों (जैसे- वीमेन पावर लाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181, और साइबर हेल्पलाइन 1930) के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। टीम ने बालिकाओं को बिना किसी संकोच के अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

गुड़म्बा थाना क्षेत्र: वहीं दूसरी ओर, थाना गुड़म्बा क्षेत्र के अंतर्गत **पिंक बूथ 97** की टीम द्वारा स्थानीय दुर्गा पंडालों एवं विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस कर्मियों ने महिलाओं और बच्चों से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें उनके कानूनी अधिकारों, गुड टच-बैड टच, साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। साथ ही, आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता प्राप्त करने के तौर-तरीके साझा किए गए। इस दौरान स्थानीय नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों ने पुलिस के इस सकारात्मक एवं सराहनीय प्रयास की भरपूर सराहना की।

जोन-मध्य

मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत मध्य जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में **पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा के निर्देशन एवं पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्री अर्पित विजयवर्गीय के नेतृत्व** में आज दिनांक 19.10.2026 को मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत मध्य जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों, स्वावलंबन तथा साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया।

प्रमुख गतिविधियां:

- **थाना हसनगंज पुलिस द्वारा** तिलक हांता दुर्गा पूजा पंडाल में महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों, महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी, यूपी कॉप ऐप एवं साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई।
- **थाना मदेयगंज पुलिस** की पिंक बूथ टीम द्वारा त्रिवेणी नगर डालीगंज क्रॉसिंग पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिला अपराधों की रोकथाम, एंटी रोमियो टीम, पिंक स्कूटी एवं महिला सुरक्षा केंद्र के संबंध में जानकारी दी गई तथा जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए।
- **थाना कैंट पुलिस** की मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीम द्वारा मरी माता मंदिर परिसर में महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा पुलिस सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रमों के दौरान महिला हेल्पलाइन **1090**, पुलिस आपातकालीन सेवा **112**, चाइल्ड हेल्पलाइन **1098**, महिला हेल्पलाइन **181** एवं साइबर वित्तीय धोखाधड़ी हेल्पलाइन **1930** सहित अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। महिलाओं एवं बालिकाओं को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में चुप न रहने तथा तत्काल पुलिस एवं संबंधित सहायता सेवाओं से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।

जोन-दक्षिणी

मिशन शक्ति फेज़-6.0 के अंतर्गत दक्षिणी जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित-

- **थाना सरोजनीनगर** पुलिस द्वारा ग्राम दरोगा खेड़ा में महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूक किया गया।
- **थाना गोसाईगंज** पुलिस द्वारा ग्राम सिटकीहा कला, अमेठी चौकी क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा एवं जागरूकता संबंधी जानकारी दी गई।
- **थाना नगराम पुलिस** द्वारा ग्राम ईश्वरीदेन खेड़ा, मजरा समेसी में एसिड अटैक से बचाव एवं उपचार, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, साइबर अपराधों तथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सरकारी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया गया।
- **थाना बिजनौर** पुलिस द्वारा शीतला माता मंदिर परिसर में महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों को एसिड अटैक, छेड़छाड़, पॉक्सो अधिनियम, गुड टच-बैड टच तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न जैसे अपराधों के संबंध में जानकारी दी गई।

जोन-उत्तरी

मिशन शक्ति फेज़-6.0 के अंतर्गत उत्तरी जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में महिला सुरक्षा एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, एसिड अटैक सर्वाइवर्स को प्रोत्साहित कर सहयोग प्रदान किया गया।

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में पुलिस आयुक्त, कमिश्नर लखनऊ श्री तरुण गाबा के निर्देशन एवं पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) श्री अमित कुमार आनंद के नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज़-6.0 के अंतर्गत दिनांक 19.10.2026 को उत्तरी जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, अधिकारों, महिला सशक्तिकरण एवं साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही एसिड अटैक सर्वाइवर्स के प्रोत्साहन एवं हैण्ड होल्डिंग हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रमुख गतिविधियां:

- **थाना रहीमाबाद, माल एवं मलिहाबाद** पुलिस द्वारा संबंधित क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, अधिकारों, साइबर अपराधों से बचाव तथा विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।
- **महिला थाना द्वितीय** की टीम द्वारा चंद्रिका देवी मंदिर परिसर में तथा **थाना महिगावां** पुलिस द्वारा उनई माता मंदिर परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिला सुरक्षा एवं सहायता संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई।
- **थाना बीकेटी** पुलिस द्वारा ग्राम बरगदी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर हेल्पलाइन नंबरों एवं साइबर सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही क्षेत्र में पैदल गश्त की गई।
- **एसिड अटैक सर्वाइवर्स के प्रोत्साहन एवं हैण्ड होल्डिंग कार्यक्रम** के माध्यम से उनका मनोबल बढ़ाने, आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करने तथा आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने पर जोर दिया गया।

उद्देश्य: मिशन शक्ति फेज़-6.0 के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने, बच्चों को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करने तथा साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने हेतु निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार के उत्पीड़न अथवा अपराध की स्थिति में तत्काल पुलिस एवं संबंधित हेल्पलाइन से संपर्क करें।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०- 1908

दिनांक-19.10.2026

जोन-उत्तरी/थाना-महिगवां

- थाना महिगवां पुलिस की तत्परता से तालाब में डूब रहे व्यक्ति की बचाई गई जान, सकुशल परिजनों को किया गया सुपुर्द।

01.कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा आमजन की सहायता एवं सुरक्षा के संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में पुलिस उपायुक्त उत्तरी, अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी एवं सहायक पुलिस आयुक्त बी०के०टी० के पर्यवेक्षण में थाना महिगवां पुलिस द्वारा तत्परता एवं संवेदनशीलता का परिचय देते हुए दिनांक 19.10.2026 को मोटरसाइकिल सहित सड़क किनारे स्थित तालाब में गिरे व्यक्ति को सकुशल निकाल कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

02.संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 19.10.2026 को समय करीब 18:35 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खजुरी, ग्राम पंचायत इन्दारा में हरिश्चन्द्र के घर के पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल सहित सड़क किनारे स्थित तालाब में गिर गया है।

उक्त सूचना पर तत्काल उप निरीक्षक श्री सतीश सिंह, चौकी प्रभारी कुम्हरावां, मय हमराह कांस्टेबल लाल बहादुर मौके पर पहुँचे तथा स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तालाब में डूब रहे व्यक्ति एवं उसकी मोटरसाइकिल को सकुशल बाहर निकाला।

व्यक्ति द्वारा अपना नाम-पता न बता पाने पर मोटरसाइकिल के पंजीकरण नंबर के माध्यम से उसकी पहचान मुनेश्वर लाल पुत्र मोती, निवासी ग्राम सुल्तानपुर, थाना कुर्सी, जनपद बाराबंकी, उम्र करीब 55 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस द्वारा व्यक्ति का समुचित उपचार कराकर उसके परिजनों को बुलाया गया तथा उसे सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया गया।

पुलिस की तत्परता एवं स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से एक व्यक्ति की बहुमूल्य जान बचाई जा सकी। परिजनों द्वारा थाना महिगवां पुलिस एवं स्थानीय ग्रामीणों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

थाना महिगवां पुलिस आमजन की सहायता, सुरक्षा एवं सेवा के लिए सदैव तत्पर है।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0- 1909

दिनांक-19.10.2026

जोन-उत्तरी / थाना-महिगवां

- थाना महिगवां पुलिस की तत्परता एवं संवेदनशीलता से उनई माता मंदिर पर परिजनों से बिछड़ी 14 वर्षीय बालिका को मात्र 05 घण्टे के भीतर सकुशल खोजकर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

01.कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा आमजन की सहायता एवं सुरक्षा के संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में पुलिस उपायुक्त उत्तरी, अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी एवं सहायक पुलिस आयुक्त बी0के0टी0 के पर्यवेक्षण में थाना महिगवां पुलिस द्वारा तत्परता एवं संवेदनशीलता का परिचय देते हुए दिनांक 19.10.2026 को उनई माता मंदिर पर अपने परिजनों से बिछड़ी 14 वर्षीय बालिका को 05 घण्टे के भीतर सकुशल खोजकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

02. संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.10.2026 को थाना महिगवां क्षेत्रान्तर्गत स्थित उनई माता मंदिर पर मुंडन संस्कार एवं दर्शन हेतु आई बालिका उम्र करीब 14 वर्ष, मंदिर परिसर में अपने परिजनों से बिछड़ गई थी। बालिका के बिछड़ जाने से उसके परिजन परेशान हो गए।

03. पुलिस की त्वरित कार्यवाही

बालिका के अपने परिजनों से बिछड़ने की सूचना प्राप्त होते ही थाना महिगवां पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल तलाश प्रारम्भ की गई।

पुलिस टीम में शामिल उ0नि0 श्री इंद्रपाल सिंह सेंगर, उ0नि0 श्री अमित सिंह एवं म0हे0का0 नीरज सिंह मय पुलिस बल द्वारा उनई माता मंदिर परिसर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में सघन खोजबीन की गई। साथ ही मंदिर के आसपास स्थापित सीसीटीवी कैमरों तथा अन्य संभावित स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन करते हुए बालिका की तलाश हेतु आवश्यक जानकारी संकलित की गई।

इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा अपने अन्य सूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए विभिन्न संभावित स्थानों पर बालिका की तलाश की गई तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्यवाही की गई। थाना महिगवां पुलिस के समन्वित प्रयासों, सतर्कता एवं तत्परता के परिणामस्वरूप परिजनों से बिछड़ी बालिका को मात्र 05 घंटे के भीतर पहाड़पुर चौराहे के पास सकुशल बरामद कर लिया गया।

04. बालिका को सकुशल परिजनों के किया सुपुर्द

थाना महिगवाँ पुलिस द्वारा बालिका की सकुशल बरामदगी के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। अपनी बालिका को सकुशल वापस पाकर परिजनों ने राहत की सांस ली तथा थाना महिगवाँ पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही, सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन, सक्रिय सूचना तंत्र एवं संवेदनशील पुलिसिंग की सराहना करते हुए पुलिस का आभार व्यक्त किया। थाना महिगवाँ पुलिस द्वारा प्रकरण में तत्परता से कार्यवाही करते हुए बालिका की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित की गई।

05. पुलिस टीम, थाना महिगवाँ, कमिश्नरेट लखनऊ

1. थानाध्यक्ष श्री राधेश्याम मौर्या (टीम प्रभारी) थाना महिगवाँ लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री इंद्रपाल सिंह सेंगर, थाना महिगवाँ, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री अमित सिंह, थाना महिगवाँ, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. म0हे0का0 नीरज सिंह, थाना महिगवाँ, कमिश्नरेट लखनऊ।
5. मय पुलिस बल, थाना महिगवाँ, कमिश्नरेट लखनऊ।

थाना महिगवाँ पुलिस आमजन की सहायता, सुरक्षा एवं सेवा के लिए सदैव तत्पर है।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1902

दिनांक-19.10.2026

जोन- दक्षिणी/थाना-कृष्णानगर

- थाना कृष्णानगर पुलिस एवं सर्विलांस सेल, जोन-दक्षिणी की संयुक्त टीम की सफलता ।
- अपहरण कर फिरौती वसूलने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के ₹ 25-25 हजार के इनामिया 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार ।
- गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 1,34,500/- रुपये नगदी बरामद ।

01-कार्यवाही विवरण:-

पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री लक्ष्मण वर्मा के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर श्री प्रद्युम्न कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम एवं सर्विलांस सेल, जोन-दक्षिणी की संयुक्त टीम द्वारा अपहरण कर फिरौती वसूलने के अभियोग में वांछित एवं इनाम घोषित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से ₹1,34,500/- नगद बरामद किए गए ।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक-13.09.2026 को वादी मुकदमा/पीड़ित श्री सुदर्शन घोष पुत्र स्व0 वीरेन्द्र चन्द्र घोष, निवासी साकेत अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस राजेन्द्रनगर, मवइया चौराहा, थाना आलमबाग, लखनऊ की लिखित तहरीर के आधार पर अपहरण कर फिरौती वसूलने के सम्बन्ध में थाना कृष्णानगर पर मु0अ0सं0-0386/2026 धारा- 115(2)/140(2)/308(5) भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया था ।

उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्रकाश में आए 06 अभियुक्तगण दिनांक 20.09.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। शेष वांछित एवं इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

अन्य वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों लगी थी । गठित पुलिस टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज, टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से आज दिनांक 19.10.2026 को 25-25 हजार के 02 इनामिया वांछित अभियुक्तगण 01. पंकज भूषण कुमार, 02. नवनीत सिंह को गिरफ्तार कर कब्जे से ₹1,34,500/- नगद बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

03-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण:-

अभियोग उपरोक्त की घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्त पंकज द्वारा बताया गया कि साहब, हम लोगों का संगठित गिरोह है। जिसमें अलग-अलग राज्यों के कई शांतिर अपराधी शामिल है। हम लोग ऐसे लोगो को खोजते रहते है, जिन लोगो के पास काफी पैसा होता है। हम लोगो द्वारा ऐसे लोगों की तलाश की जाती है एवं योजनाबद्ध तरीके से पहले ऐसे लोगो की रेकी की जाती है और रेकी करने के बाद हम लोग घटना को अंजाम देते है, लखनऊ की जो घटना हम लोगों ने कारित की है, इसके संबंध में मेरे गैंग के सदस्य नवनीत ने बताया था कि वह भी पूर्व में एंटीक सामान की बिक्री का कार्य कर चुका है जिसमें अत्यधिक कमाई होती है एवं मेरा करीबी सुदर्शन घोष एंटीक के समान का बड़ा व्यवसाय करता है एवं काफी माल

इकट्ठा कर रखा है जो उसके घर में कैश और ज्वेलरी के रूप में मौजूद है, मैंने इस बात की जानकारी अपने गैंग के सदस्यों को दी थी और नवनीत के द्वारा वादी की गतिविधियों के बारे में हम लोगों को बताया था कि वादी के पास काफी धन है यदि हम लोग मिलकर घटना की अंजाम दे तो काफी पैसा मिल सकता है, जिस कारण हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से लखनऊ में रहकर वादी के आने-जाने की रेकी करने लगे एवं एक दिन मौका मिलने पर सुदर्शन के ऑफिस के पास से दिनांक-12.09.2026 को मौका मिलने पर अपना परिचय पुलिस अधिकारी बताते हुए एवं फर्जी कूटरचित पुलिस अधिकारी का आईडी कार्ड दिखा कर पूछताछ के लिए वादी को गाड़ी में बैठा लिया एवं वादी को डराया धमकाया एवं मौके से फरार हो गये, एवं वादी को धमकाया कि अपने घर से पैसा मंगा कर हम लोगो को लाकर दे एवं वादी से जबरदस्ती उसके घर पर उसकी पत्नी को फोन कराया और बोला कि वादी को छोड़ने के बदले में पैसे के फिरौती की मांग की एवं न देने पर जान माल की धमकी दी, कुछ समय बाद हम लोगों को वादी के ड्राइवर द्वारा 13 लाख रुपये नगदी तथा सोने चाँदी के जेवर फिरौती के रूप में मिलने पर सुदर्शन को शहीद पथ के पास छोड़ कर चले गये थे एवं हम लोग घटना को अंजाम देने के बाद अलग-अलग राज्यों में चले गये थे। घटना में जिन गाड़ियों का हम इस्तेमाल करते हैं उन पर कूटरचित नम्बर प्लेट लगा देते हैं, जिससे पुलिस हम लोगो को पकड़ न सके। घटना से प्राप्त नगदी तथा ज्वेलरी को आपस में बाट लिया था एवं प्राप्त कुछ पैसे को एसो आराम में खर्च कर दिया था। एवं साहब कुछ समय बाद जानकारी मिली कि पुलिस द्वारा हमारे गैंग के कुछ सदस्यों को पकड़ लिया गया है जिस कारण हम लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर इधर-उधर छिपकर रह रहे थे तथा कुछ समय बीत जाने के बाद मेरे तथा मेरे साथी नवनीत सिंह पर भी किसी को शक ना हो जिस कारण हम लोग दोबारा वापस लखनऊ आ गए थे एवं अगली घटना को अंजाम देने का मौका तलाश रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया। साहब हमसे गलती हो गयी, हमें माफ कर दीजिए।

03- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. पंकज भूषण कुमार पुत्र स्व० कृष्णा सिंह उम्र करीब 47 वर्ष नि०- 150/C MIG पद्मशालीपुरम मधुवन कालोनी राजेन्द्र नगर काटेदान थाना दुर्गानगर जनपद रंगारेड्डी हैदराबाद तेलंगाना मूल पता ग्राम मोमिनपुर थाना हिलसा जनपद नालन्दा बिहार।
2. नवनीत सिंह पुत्र श्री नाथून सिंह उम्र करीब 32 वर्ष नि०- न्यू बेहसा मान सरोवर योजना थाना सरोजनी नगर लखनऊ ।

04-अनावरित अभियोग का विवरण:-

- मु०अ०सं०-386/2026, धारा-115(2)/ 140(2)/ 319(2)/ 318(4)/ 340(2)/ 310(2)/ 61(2)/ 317(3) बी०एन०एस० थाना कृष्णानगर लखनऊ ।

05-बरामदगी विवरण:-

1. ₹1,34,500/- (एक लाख चौतीस हजार पाँच सौ रुपये) नगद।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना कृष्णानगर पुलिस टीम , कमिश्नरेट लखनऊ ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-1903

दिनांक- 19.10.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-काकोरी

- थाना काकोरी पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास में वाँछित 03 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।
- अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 स्टम्प बरामद किये गये।

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.10.2026 को वादी मो० इमरान मंसूरी पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी किला मैदान थाना काकोरी जनपद लखनऊ अपने घर सागर ताला से अपने कार्यालय दुबग्गा क्रेटा कार से जा रहे थे रास्ते में गोला कुँआ वाली रोड पर पहले से घात लगाये बैठे अज्ञात हमलावर ने जान लेवा हमला कर दिया जिससे वादी मुकदमा को गम्भीर चोट आयी थी जिसके संबन्ध में वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बावत् 1. आमिर 2. सुब्रत उर्फ आकाश यादव 3. सलमान 4. उबैद की सह पर अज्ञात हमलवारों के द्वारा मुकदमा वादी के ऊपर जानलेवा हमला कराने के आधार पर थाना काकोरी पर मु०अ०सं० 320/2026 धारा 109/115(2)/324(4) बीएनएस बनाम 1. आमिर 2. सुब्रत उर्फ आकाश यादव 3. सलमान 4. उबैद व अन्य अज्ञात हमलावर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

घटना की गम्भीरता को देखते हुए 02 पुलिस टीम का गठन कर तत्काल घटना के सफल अनावरण व घटना में संलिप्त अभि०गण की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन का सहयोग लिया गया तथा घटना स्थल के आसपास उपलब्ध जानकारी एवं घटना के समय मौजूद चश्मदीद साक्षियों से प्राप्त तथ्यों तकनीकी साक्ष्यों व विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभि० 1. तरून कश्यप पुत्र मुन्नालाल कश्यप निवासी भमरौली शाहपुर थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ 2. ललित पुत्र नन्हकू निवासी ग्राम भवानीखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ 3. विष्णु पुत्र विनोद निवासी कटरा बाजार कस्बा व थाना काकोरी जनपद लखनऊ का नाम घटना किये जाने में प्रकाश में आया अभि०गण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा उनके मिलने वाले संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी मुखबिर की सूचना के आधार पर अभि०गण को वलीनगर पुलिया के पास से समय करीब 22.10 बजे गिरफ्तारी के कारण व आधार से अवगत कराते हुए गिरफ्तार किया गया अभि०गण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 03 अदद स्टम्प को बरामद किया गया तथा वादी मुकदमा से द्वारा भी अभि०गण की शिनाख्त करायी गयी।

अभियुक्तगण को नियमानुसार मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में नामजद आरोपीगण के विरुद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. तरून कश्यप पुत्र मुन्नालाल कश्यप निवासी भमरौली शाहपुर थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ उम्र 19 वर्ष
2. ललित पुत्र नन्हकू निवासी ग्राम भवानीखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष
3. विष्णु पुत्र विनोद निवासी कटरा बाजार कस्बा व थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 19 वर्ष

03-बरामदगी:-

➤ घटना में प्रयुक्त 03 स्टम्प

04-अनावरित अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 320/2026, धारा -109/61(2)/352/115(2)/324(4) बी0एन0एस0 थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।

05 आपराधिक इतिहास

1. ललित पुत्र नन्हकू निवासी ग्राम भवानीखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ

- 1.मु0अ0सं0 243/23 धारा 147/148/308/323/504 भा0द0वि0 थाना आशियाना लखनऊ
- 2.मु0अ0सं0 222/23 धारा 411/414 भा0द0वि0 व 9 आयुध अधि0 थाना पारा लखनऊ
- 3.मु0अ0सं0 122/24 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना काकोरी लखनऊ
- 4.मु0अ0सं0 194/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना काकोरी लखनऊ
- 5.मु0अ0सं0 149/25 धारा 127(2)/309(6)/351(2)/317(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ

2. तरून कश्यप पुत्र मुन्नालाल कश्यप निवासी भमरौली शाहपुर थाना दुबगा जनपद लखनऊ

- 1.मु0अ0सं0-108/2024 धारा-392/411 भादवि थाना तालकटोरा लखनऊ
- 2.मु0अ0सं0-125/2026 धारा-304(2) बीएनएस थाना कृष्णानगर लखनऊ

3. विष्णु पुत्र विनोद निवासी कटरा बाजार कस्बा व थाना काकोरी जनपद लखनऊ

- 1.मु0अ0सं0 194/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना काकोरी लखनऊ
- 2.मु0अ0सं0 73/26 धारा 115(2)/352 बीएनएस व 3(1)(द)3(1)(ध)3(2)(5ए) एससीएसटी अधि0 काकोरी
- 3.मु0अ0सं0 207/2026 धारा 115(2)/117(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना काकोरी लखनऊ

05 गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 राजकुमार थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
- 2.उ0नि0 सुरजीत कुशवाहा थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
- 3.उ0नि0 सुशील यादव थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
- 4.हे0कां0 नवीन यादव थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
5. कां0 धीरज यादव थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1904

दिनांक-19.10.2026

जोन-उत्तरी/थाना- इटौंजा , लखनऊ

थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

01- संक्षिप्त विवरण -

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अपराधियो एवं वांछित अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त महोदय उत्तरी जोन व अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना इटौंजा के कुशल नेतृत्व में वाद सं0- 965/11 अ0सं0- 574/08 धारा 452/354/323/504/506 भादवि व 3(1)x एससी/एसटी एक्ट थाना इटौंजा लखनऊ से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी को गिरफ्तार किया गया ।

02-कार्यवाही का विवरण-

मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0टी0/एस0टी0 अधिनियम अपर जला एवं सत्र न्यायाधीश लखनऊ महोदय द्वारा जारी एनबीडब्लू सम्बन्धित 965/11 अ0सं0- 574/08 धारा 452/354/323/504/506 भादवि व 3(1)x एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त **वीर सिंह** पुत्र चन्द्रभाल निवासी ग्राम मोहम्मदगढी थाना इटौंजा वर्तमान थाना महिगवा जनपद लखनऊ उम्र 45 वर्ष को दिनांक 18.10.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर उसके घर से माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र दिखाते हुए हिरासत पुलिस लिया गया । अग्रिम **विधिक कार्यवाही** की जा रही है ।

04-गिरफ्तार वारंटी का नाम पता व व्यवसाय

1. **वीर सिंह** पुत्र चन्द्रभाल निवासी ग्राम मोहम्मदगढी थाना इटौंजा वर्तमान थाना महिगवा जनपद लखनऊ उम्र 45 वर्ष व्यवसाय -निल

05. आपराधिक इतिहास वारंटी

1. 574/08 धारा 452/354/323/504/506 भादवि व 3(1)x एससी/एसटी एक्ट थाना इटौंजा जनपद लखनऊ

06.गिरफ्तार करने वाली टीम थाना इटौंजा लखनऊ:-

1.उ0नि0 श्री अशोक कुमार तिवारी थाना इटौंजा लखनऊ

2.उ0नि0 श्री सर्वेश कुमार थाना इटौंजा लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०- 1905

दिनांक- 19.10.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-बीकेटी

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत चन्द्रिका देवी मंदिर मेले में बिछड़े बच्चे को बीकेटी पुलिस एवं मिशन शक्ति टीम ने सकुशल खोजकर परिजनों के सुपुर्द किया

- मेले में बच्चे के खोने की सूचना मिलते ही बीकेटी पुलिस एवं मिशन शक्ति टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शुरू की तलाश।
- कठवारा चौकी पर नियुक्त उपनिरीक्षक एवं मिशन शक्ति टीम के संयुक्त प्रयास से बच्चे को सकुशल खोजकर उसकी मां के सुपुर्द किया गया।
- बच्चे को सकुशल पाकर मां ने लखनऊ पुलिस एवं मिशन शक्ति टीम का आभार व्यक्त किया।

01. घटना का संक्षिप्त विवरण:-

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा के निर्देशन तथा पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) श्री अमित कुमार आनंद के नेतृत्व में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन एवं सशक्तीकरण के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान के छठवें चरण के अंतर्गत निरंतर जागरूकता एवं जनहित से संबंधित कार्यवाहियां की जा रही हैं।

इसी क्रम में दिनांक 19.10.2026 को थाना बीकेटी क्षेत्रांतर्गत स्थित चन्द्रिका देवी मंदिर में आयोजित मेले के दौरान एक महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसका बच्चा मेले में कहीं बिछड़ गया है। मेले में अत्यधिक भीड़ होने के कारण महिला अपने बच्चे को लेकर चिंतित थी।

सूचना प्राप्त होते ही प्रभारी निरीक्षक बीकेटी श्री संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में कठवारा चौकी पर नियुक्त उपनिरीक्षक श्री विपिन उपाध्याय एवं मिशन शक्ति टीम द्वारा तत्काल सक्रियता दिखाते हुए मेला परिसर में बच्चे की तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम द्वारा आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन की गई, जिसके दौरान एक बालक अकेले घूमता हुआ मिला।

पुलिस टीम ने तत्परता एवं संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बालक के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा सूचना देने वाली महिला से संपर्क स्थापित कर आवश्यक पुष्टि के उपरांत बच्चे को सकुशल उसकी मां के सुपुर्द कर दिया।

काफी देर से अपने बच्चे की तलाश कर रही मां ने बच्चे को सकुशल पाकर राहत की सांस ली। इस दौरान मां ने बीकेटी पुलिस एवं मिशन शक्ति टीम द्वारा दिखाई गई तत्परता, संवेदनशीलता एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

लखनऊ पुलिस आमजन की सुरक्षा के साथ-साथ महिलाओं, बालिकाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस द्वारा जनसहयोग से ऐसे कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हो तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

02. बच्चे को सकुशल परिजनों के सुपुर्द कराने वाली पुलिस टीम:-

1. 30नि0 श्री विपिन उपाध्याय — थाना बीकेटी, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. म0का0 दीपी सिसोदिया — थाना बीकेटी, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. म0का0 शिखा शर्मा — थाना बीकेटी, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०- 1907

दिनांक-19.10.2026

जोन- मध्य / थाना-गौतमपल्ली

- थाना गौतमपल्ली पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक-21/08/2026 को वादिनी की लिखित तहरीर दी गयी जिसमें अभियुक्त द्वारा छेड़खानी करना, अश्लीलता करना, पीछा करना, धमकी देना, मारपीट व गाली-गलौज करना, तथा फोन पर भी गाली देना, झूठी अफवाह फैलाना आदि के संबंध में दी गयी तहरीर के आधार थाना गौतमपल्ली पर पंजीकृत मुकदमा मु०अ०सं०-52/26 धारा 74/75/78(1)(i)/79/115(2)/352/331(2)/351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त सम्राट गुप्ता उर्फ विवेक गुप्ता पुत्र श्री शिव शक्ति गुप्ता निवासी गोला बाजार सदर थाना कैण्ट लखनऊ की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष गौतमपल्ली द्वारा पुलिस टीम नियुक्त कर अभियुक्त उपरोक्त की सुरागरसी पतारसी व गिरफ्तारी हेतु लगाया गया।

उक्त मुकदमें में विवेक/पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस सेल तथा अन्य स्रोतों से मदद लेते हुये सुरागरसी पतारसी करते हुये मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सम्राट गुप्ता उर्फ विवेक गुप्ता पुत्र श्री शिव शक्ति गुप्ता निवासी गोला बाजार सदर थाना कैण्ट लखनऊ को आज दिनांक-19/10/2026 को अभियुक्त के घर से हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त सम्राट गुप्ता उर्फ विवेक गुप्ता उपरोक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

वादिनी मुकदमा के अन्तर्गत धारा-180/183 बीएनएस के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-64/78(2)/329(3)/333 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी व धारा- 78(1)(i),331(2) बीएनएस का लोप किया गया।

मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना अन्तर्गत धारा- 64/74/75(2)/78(2)/79/115(2)/329(3)/333/351(3)/352 बीएनएस में संपादित की जायेगी।

02-पंजीकृत अभियोग(अनावरित अभियोग)-

1. मु०अ०सं०- 52/2026 धारा- 64/74/75(2)/78(2)/79/115(2)/329(3)/333/351(3)/352 बीएनएस थाना गौतमपल्ली लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1- सम्राट गुप्ता उर्फ विवेक गुप्ता पुत्र श्री शिव शक्ति गुप्ता निवासी गोला बाजार सदर थाना कैण्ट लखनऊ उम्र-28 वर्ष।

04-अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं०- 356/2024 धारा- 115(2)/351(3) बीएनएस 3(1)(द)/3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015)

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण—

1. उ०नि० श्री अनिल भगत थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ०नि० श्री धीरेन्द्र कुमार थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ
3. का० निशांत सिंह थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ
4. का० शुभम कुमार थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ
5. म०का० चाँदनी पाण्डेय थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ
6. म०का० संध्या गौतम थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ
7. म०का० प्रियंका थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0- 1909

दिनांक-19.10.2026

जोन-उत्तरी / थाना-महिगवां

- थाना महिगवां पुलिस की तत्परता एवं संवेदनशीलता से उनई माता मंदिर पर परिजनों से बिछड़ी 14 वर्षीय बालिका को मात्र 05 घण्टे के भीतर सकुशल खोजकर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

01.कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा आमजन की सहायता एवं सुरक्षा के संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में पुलिस उपायुक्त उत्तरी, अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी एवं सहायक पुलिस आयुक्त बी0के0टी0 के पर्यवेक्षण में थाना महिगवां पुलिस द्वारा तत्परता एवं संवेदनशीलता का परिचय देते हुए दिनांक 19.10.2026 को उनई माता मंदिर पर अपने परिजनों से बिछड़ी 14 वर्षीय बालिका को 05 घण्टे के भीतर सकुशल खोजकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

02. संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.10.2026 को थाना महिगवां क्षेत्रान्तर्गत स्थित उनई माता मंदिर पर मुंडन संस्कार एवं दर्शन हेतु आई बालिका उम्र करीब 14 वर्ष, मंदिर परिसर में अपने परिजनों से बिछड़ गई थी। बालिका के बिछड़ जाने से उसके परिजन परेशान हो गए।

03. पुलिस की त्वरित कार्यवाही

बालिका के अपने परिजनों से बिछड़ने की सूचना प्राप्त होते ही थाना महिगवां पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल तलाश प्रारम्भ की गई।

पुलिस टीम में शामिल उ0नि0 श्री इंद्रपाल सिंह सेंगर, उ0नि0 श्री अमित सिंह एवं म0हे0का0 नीरज सिंह मय पुलिस बल द्वारा उनई माता मंदिर परिसर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में सघन खोजबीन की गई। साथ ही मंदिर के आसपास स्थापित सीसीटीवी कैमरों तथा अन्य संभावित स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन करते हुए बालिका की तलाश हेतु आवश्यक जानकारी संकलित की गई।

इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा अपने अन्य सूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए विभिन्न संभावित स्थानों पर बालिका की तलाश की गई तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्यवाही की गई। थाना महिगवां पुलिस के समन्वित प्रयासों, सतर्कता एवं तत्परता के परिणामस्वरूप परिजनों से बिछड़ी बालिका को मात्र 05 घंटे के भीतर पहाड़पुर चौराहे के पास सकुशल बरामद कर लिया गया।

04. बालिका को सकुशल परिजनों के किया सुपुर्द

थाना महिगवाँ पुलिस द्वारा बालिका की सकुशल बरामदगी के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। अपनी बालिका को सकुशल वापस पाकर परिजनों ने राहत की सांस ली तथा थाना महिगवाँ पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही, सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन, सक्रिय सूचना तंत्र एवं संवेदनशील पुलिसिंग की सराहना करते हुए पुलिस का आभार व्यक्त किया। थाना महिगवाँ पुलिस द्वारा प्रकरण में तत्परता से कार्यवाही करते हुए बालिका की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित की गई।

05. पुलिस टीम, थाना महिगवाँ, कमिश्नरेट लखनऊ

1. थानाध्यक्ष श्री राधेश्याम मौर्या (टीम प्रभारी) थाना महिगवाँ लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री इंद्रपाल सिंह सेंगर, थाना महिगवाँ, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री अमित सिंह, थाना महिगवाँ, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. म0हे0का0 नीरज सिंह, थाना महिगवाँ, कमिश्नरेट लखनऊ।
5. मय पुलिस बल, थाना महिगवाँ, कमिश्नरेट लखनऊ।

थाना महिगवाँ पुलिस आमजन की सहायता, सुरक्षा एवं सेवा के लिए सदैव तत्पर है।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1902

दिनांक-19.10.2026

जोन- दक्षिणी/थाना-कृष्णानगर

- थाना कृष्णानगर पुलिस एवं सर्विलांस सेल, जोन-दक्षिणी की संयुक्त टीम की सफलता ।
- अपहरण कर फिरौती वसूलने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के ₹ 25-25 हजार के इनामिया 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार ।
- गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 1,34,500/- रुपये नगदी बरामद ।

01-कार्यवाही विवरण:-

पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री लक्ष्मण वर्मा के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर श्री प्रद्युम्न कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम एवं सर्विलांस सेल, जोन-दक्षिणी की संयुक्त टीम द्वारा अपहरण कर फिरौती वसूलने के अभियोग में वांछित एवं इनाम घोषित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से ₹1,34,500/- नगद बरामद किए गए ।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक-13.09.2026 को वादी मुकदमा/पीड़ित श्री सुदर्शन घोष पुत्र स्व0 वीरेन्द्र चन्द्र घोष, निवासी साकेत अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस राजेन्द्रनगर, मवइया चौराहा, थाना आलमबाग, लखनऊ की लिखित तहरीर के आधार पर अपहरण कर फिरौती वसूलने के सम्बन्ध में थाना कृष्णानगर पर मु0अ0सं0-0386/2026 धारा- 115(2)/140(2)/308(5) भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया था ।

उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्रकाश में आए 06 अभियुक्तगण दिनांक 20.09.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। शेष वांछित एवं इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

अन्य वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों लगी थी । गठित पुलिस टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज, टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से आज दिनांक 19.10.2026 को 25-25 हजार के 02 इनामिया वांछित अभियुक्तगण 01. पंकज भूषण कुमार, 02. नवनीत सिंह को गिरफ्तार कर कब्जे से ₹1,34,500/- नगद बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

03-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण:-

अभियोग उपरोक्त की घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्त पंकज द्वारा बताया गया कि साहब, हम लोगों का संगठित गिरोह है। जिसमें अलग-अलग राज्यों के कई शातिर अपराधी शामिल है। हम लोग ऐसे लोगो को खोजते रहते है, जिन लोगो के पास काफी पैसा होता है। हम लोगो द्वारा ऐसे लोगों की तलाश की जाती है एवं योजनाबद्ध तरीके से पहले ऐसे लोगो की रेकी की जाती है और रेकी करने के बाद हम लोग घटना को अंजाम देते है, लखनऊ की जो घटना हम लोगों ने कारित की है, इसके संबंध में मेरे गैंग के सदस्य नवनीत ने बताया था कि वह भी पूर्व में एंटीक सामान की बिक्री का कार्य कर चुका है जिसमें अत्यधिक कमाई होती है एवं मेरा करीबी सुदर्शन घोष एंटीक के समान का बड़ा व्यवसाय करता है एवं काफी माल

इकट्ठा कर रखा है जो उसके घर में कैश और ज्वेलरी के रूप में मौजूद है, मैंने इस बात की जानकारी अपने गैंग के सदस्यों को दी थी और नवनीत के द्वारा वादी की गतिविधियों के बारे में हम लोगों को बताया था कि वादी के पास काफी धन है यदि हम लोग मिलकर घटना की अंजाम दे तो काफी पैसा मिल सकता है, जिस कारण हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से लखनऊ में रहकर वादी के आने-जाने की रेकी करने लगे एवं एक दिन मौका मिलने पर सुदर्शन के ऑफिस के पास से दिनांक-12.09.2026 को मौका मिलने पर अपना परिचय पुलिस अधिकारी बताते हुए एवं फर्जी कूटरचित पुलिस अधिकारी का आईडी कार्ड दिखा कर पूछताछ के लिए वादी को गाड़ी में बैठा लिया एवं वादी को डराया धमकाया एवं मौके से फरार हो गये, एवं वादी को धमकाया कि अपने घर से पैसा मंगा कर हम लोगो को लाकर दे एवं वादी से जबरदस्ती उसके घर पर उसकी पत्नी को फोन कराया और बोला कि वादी को छोड़ने के बदले में पैसे के फिरौती की मांग की एवं न देने पर जान माल की धमकी दी, कुछ समय बाद हम लोगों को वादी के ड्राइवर द्वारा 13 लाख रुपये नगदी तथा सोने चाँदी के जेवर फिरौती के रूप में मिलने पर सुदर्शन को शहीद पथ के पास छोड़ कर चले गये थे एवं हम लोग घटना को अंजाम देने के बाद अलग-अलग राज्यों में चले गये थे। घटना में जिन गाड़ियों का हम इस्तेमाल करते हैं उन पर कूटरचित नम्बर प्लेट लगा देते हैं, जिससे पुलिस हम लोगो को पकड़ न सके। घटना से प्राप्त नगदी तथा ज्वेलरी को आपस में बाट लिया था एवं प्राप्त कुछ पैसे को एसो आराम में खर्च कर दिया था। एवं साहब कुछ समय बाद जानकारी मिली कि पुलिस द्वारा हमारे गैंग के कुछ सदस्यों को पकड़ लिया गया है जिस कारण हम लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर इधर-उधर छिपकर रह रहे थे तथा कुछ समय बीत जाने के बाद मेरे तथा मेरे साथी नवनीत सिंह पर भी किसी को शक ना हो जिस कारण हम लोग दोबारा वापस लखनऊ आ गए थे एवं अगली घटना को अंजाम देने का मौका तलाश रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया। साहब हमसे गलती हो गयी, हमें माफ कर दीजिए।

03- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. पंकज भूषण कुमार पुत्र स्व० कृष्णा सिंह उम्र करीब 47 वर्ष नि०- 150/C MIG पद्मशालीपुरम मधुवन कालोनी राजेन्द्र नगर काटेदान थाना दुर्गानगर जनपद रंगारेड्डी हैदराबाद तेलंगाणा मूल पता ग्राम मोमिनपुर थाना हिलसा जनपद नालन्दा बिहार।
2. नवनीत सिंह पुत्र श्री नाथून सिंह उम्र करीब 32 वर्ष नि०- न्यू बेहसा मान सरोवर योजना थाना सरोजनी नगर लखनऊ।

04-अनावरित अभियोग का विवरण:-

- मु०अ०सं०-386/2026, धारा-115(2)/ 140(2)/ 319(2)/ 318(4)/ 340(2)/ 310(2)/ 61(2)/ 317(3) बी०एन०एस० थाना कृष्णानगर लखनऊ।

05-बरामदगी विवरण:-

1. ₹1,34,500/- (एक लाख चौतीस हजार पाँच सौ रुपये) नगद।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना कृष्णानगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-1903

दिनांक- 19.10.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-काकोरी

- थाना काकोरी पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास में वाँछित 03 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।
- अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 स्टम्प बरामद किये गये।

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.10.2026 को वादी मो० इमरान मंसूरी पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी किला मैदान थाना काकोरी जनपद लखनऊ अपने घर सागर ताला से अपने कार्यालय दुबग्गा क्रेटा कार से जा रहे थे रास्ते में गोला कुँआ वाली रोड पर पहले से घात लगाये बैठे अज्ञात हमलावर ने जान लेवा हमला कर दिया जिससे वादी मुकदमा को गम्भीर चोट आयी थी जिसके संबन्ध में वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बावत् 1. आमिर 2.सुब्रत उर्फ आकाश यादव 3. सलमान 4. उबैद की सह पर अज्ञात हमलवारों के द्वारा मुकदमा वादी के ऊपर जानलेवा हमला कराने के आधार पर थाना काकोरी पर मु०अ०सं० 320/2026 धारा 109/115(2)/324(4) बीएनएस बनाम 1. आमिर 2.सुब्रत उर्फ आकाश यादव 3. सलमान 4. उबैद व अन्य अज्ञात हमलावर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

घटना की गम्भीरता को देखते हुए 02 पुलिस टीम का गठन कर तत्काल घटना के सफल अनावरण व घटना में संलिप्त अभि०गण की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन का सहयोग लिया गया तथा घटना स्थल के आसपास उपलब्ध जानकारी एवं घटना के समय मौजूद चश्मदीद साक्षियों से प्राप्त तथ्यों तकनीकी साक्ष्यों व विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभि० 1.तरून कश्यप पुत्र मुन्नालाल कश्यप निवासी भमरौली शाहपुर थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ 2. ललित पुत्र नन्हकू निवासी ग्राम भवानीखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ 3.विष्णु पुत्र विनोद निवासी कटरा बाजार कस्बा व थाना काकोरी जनपद लखनऊ का नाम घटना किये जाने में प्रकाश में आया अभि०गण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा उनके मिलने वाले संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी मुखबिर की सूचना के आधार पर अभि०गण को वलीनगर पुलिया के पास से समय करीब 22.10 बजे गिरफ्तारी के कारण व आधार से अवगत कराते हुए गिरफ्तार किया गया अभि०गण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 03 अदद स्टम्प को बरामद किया गया तथा वादी मुकदमा से द्वारा भी अभि०गण की शिनाख्त करायी गयी।

अभियुक्तगण को नियमानुसार मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में नामजद आरोपीगण के विरुद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. तरून कश्यप पुत्र मुन्नालाल कश्यप निवासी भमरौली शाहपुर थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ उम्र 19 वर्ष
2. ललित पुत्र नन्हकू निवासी ग्राम भवानीखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष
3. विष्णु पुत्र विनोद निवासी कटरा बाजार कस्बा व थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 19 वर्ष

03-बरामदगी:-

➤ घटना में प्रयुक्त 03 स्टम्प

04-अनावरित अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 320/2026, धारा -109/61(2)/352/115(2)/324(4) बी0एन0एस0 थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।

05 आपराधिक इतिहास

1. ललित पुत्र नन्हकू निवासी ग्राम भवानीखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ

- 1.मु0अ0सं0 243/23 धारा 147/148/308/323/504 भा0द0वि0 थाना आशियाना लखनऊ
- 2.मु0अ0सं0 222/23 धारा 411/414 भा0द0वि0 व 9 आयुध अधि0 थाना पारा लखनऊ
- 3.मु0अ0सं0 122/24 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना काकोरी लखनऊ
- 4.मु0अ0सं0 194/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना काकोरी लखनऊ
- 5.मु0अ0सं0 149/25 धारा 127(2)/309(6)/351(2)/317(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ

2. तरून कश्यप पुत्र मुन्नालाल कश्यप निवासी भमरौली शाहपुर थाना दुबगा जनपद लखनऊ

- 1.मु0अ0सं0-108/2024 धारा-392/411 भादवि थाना तालकटोरा लखनऊ
- 2.मु0अ0सं0-125/2026 धारा-304(2) बीएनएस थाना कृष्णानगर लखनऊ

3. विष्णु पुत्र विनोद निवासी कटरा बाजार कस्बा व थाना काकोरी जनपद लखनऊ

- 1.मु0अ0सं0 194/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना काकोरी लखनऊ
- 2.मु0अ0सं0 73/26 धारा 115(2)/352 बीएनएस व 3(1)(द)3(1)(ध)3(2)(5ए) एससीएसटी अधि0 काकोरी
- 3.मु0अ0सं0 207/2026 धारा 115(2)/117(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना काकोरी लखनऊ

05 गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 राजकुमार थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
- 2.उ0नि0 सुरजीत कुशवाहा थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
- 3.उ0नि0 सुशील यादव थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
- 4.हे0कां0 नवीन यादव थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
5. कां0 धीरज यादव थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1904

दिनांक-19.10.2026

जोन-उत्तरी/थाना- इटौंजा , लखनऊ

थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

01- संक्षिप्त विवरण -

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अपराधियो एवं वांछित अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त महोदय उत्तरी जोन व अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना इटौंजा के कुशल नेतृत्व में वाद सं0- 965/11 अ0सं0- 574/08 धारा 452/354/323/504/506 भादवि व 3(1)x एससी/एसटी एक्ट थाना इटौंजा लखनऊ से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी को गिरफ्तार किया गया ।

02-कार्यवाही का विवरण-

मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0टी0/एस0टी0 अधिनियम अपर जला एवं सत्र न्यायाधीश लखनऊ महोदय द्वारा जारी एनबीडब्लू सम्बन्धित 965/11 अ0सं0- 574/08 धारा 452/354/323/504/506 भादवि व 3(1)x एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त **वीर सिंह** पुत्र चन्द्रभाल निवासी ग्राम मोहम्मदगढी थाना इटौंजा वर्तमान थाना महिगवा जनपद लखनऊ उम्र 45 वर्ष को दिनांक 18.10.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर उसके घर से माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र दिखाते हुए हिरासत पुलिस लिया गया । अग्रिम **विधिक कार्यवाही** की जा रही है ।

04-गिरफ्तार वारंटी का नाम पता व व्यवसाय

1. **वीर सिंह** पुत्र चन्द्रभाल निवासी ग्राम मोहम्मदगढी थाना इटौंजा वर्तमान थाना महिगवा जनपद लखनऊ उम्र 45 वर्ष व्यवसाय -निल

05. आपराधिक इतिहास वारंटी

1. 574/08 धारा 452/354/323/504/506 भादवि व 3(1)x एससी/एसटी एक्ट थाना इटौंजा जनपद लखनऊ

06.गिरफ्तार करने वाली टीम थाना इटौंजा लखनऊ:-

1.उ0नि0 श्री अशोक कुमार तिवारी थाना इटौंजा लखनऊ

2.उ0नि0 श्री सर्वेश कुमार थाना इटौंजा लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०- 1905

दिनांक- 19.10.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-बीकेटी

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत चन्द्रिका देवी मंदिर मेले में बिछड़े बच्चे को बीकेटी पुलिस एवं मिशन शक्ति टीम ने सकुशल खोजकर परिजनों के सुपुर्द किया

- मेले में बच्चे के खोने की सूचना मिलते ही बीकेटी पुलिस एवं मिशन शक्ति टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शुरू की तलाश।
- कठवारा चौकी पर नियुक्त उपनिरीक्षक एवं मिशन शक्ति टीम के संयुक्त प्रयास से बच्चे को सकुशल खोजकर उसकी मां के सुपुर्द किया गया।
- बच्चे को सकुशल पाकर मां ने लखनऊ पुलिस एवं मिशन शक्ति टीम का आभार व्यक्त किया।

01. घटना का संक्षिप्त विवरण:-

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा के निर्देशन तथा पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) श्री अमित कुमार आनंद के नेतृत्व में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन एवं सशक्तीकरण के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान के छठवें चरण के अंतर्गत निरंतर जागरूकता एवं जनहित से संबंधित कार्यवाहियां की जा रही हैं।

इसी क्रम में दिनांक 19.10.2026 को थाना बीकेटी क्षेत्रांतर्गत स्थित चन्द्रिका देवी मंदिर में आयोजित मेले के दौरान एक महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसका बच्चा मेले में कहीं बिछड़ गया है। मेले में अत्यधिक भीड़ होने के कारण महिला अपने बच्चे को लेकर चिंतित थी।

सूचना प्राप्त होते ही प्रभारी निरीक्षक बीकेटी श्री संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में कठवारा चौकी पर नियुक्त उपनिरीक्षक श्री विपिन उपाध्याय एवं मिशन शक्ति टीम द्वारा तत्काल सक्रियता दिखाते हुए मेला परिसर में बच्चे की तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम द्वारा आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन की गई, जिसके दौरान एक बालक अकेले घूमता हुआ मिला।

पुलिस टीम ने तत्परता एवं संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बालक के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा सूचना देने वाली महिला से संपर्क स्थापित कर आवश्यक पुष्टि के उपरांत बच्चे को सकुशल उसकी मां के सुपुर्द कर दिया।

काफी देर से अपने बच्चे की तलाश कर रही मां ने बच्चे को सकुशल पाकर राहत की सांस ली। इस दौरान मां ने बीकेटी पुलिस एवं मिशन शक्ति टीम द्वारा दिखाई गई तत्परता, संवेदनशीलता एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

लखनऊ पुलिस आमजन की सुरक्षा के साथ-साथ महिलाओं, बालिकाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस द्वारा जनसहयोग से ऐसे कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हो तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

02. बच्चे को सकुशल परिजनों के सुपुर्द कराने वाली पुलिस टीम:-

1. 30नि0 श्री विपिन उपाध्याय — थाना बीकेटी, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. म0का0 दीपी सिसोदिया — थाना बीकेटी, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. म0का0 शिखा शर्मा — थाना बीकेटी, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०- 1907

दिनांक-19.10.2026

जोन- मध्य / थाना-गौतमपल्ली

- थाना गौतमपल्ली पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक-21/08/2026 को वादिनी की लिखित तहरीर दी गयी जिसमें अभियुक्त द्वारा छेड़खानी करना, अश्लीलता करना, पीछा करना, धमकी देना, मारपीट व गाली-गलौज करना, तथा फोन पर भी गाली देना, झूठी अफवाह फैलाना आदि के संबंध में दी गयी तहरीर के आधार थाना गौतमपल्ली पर पंजीकृत मुकदमा मु०अ०सं०-52/26 धारा 74/75/78(1)(i)/79/115(2)/352/331(2)/351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त सम्राट गुप्ता उर्फ विवेक गुप्ता पुत्र श्री शिव शक्ति गुप्ता निवासी गोला बाजार सदर थाना कैण्ट लखनऊ की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष गौतमपल्ली द्वारा पुलिस टीम नियुक्त कर अभियुक्त उपरोक्त की सुरागरसी पतारसी व गिरफ्तारी हेतु लगाया गया।

उक्त मुकदमें में विवेक/पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस सेल तथा अन्य स्रोतों से मदद लेते हुये सुरागरसी पतारसी करते हुये मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सम्राट गुप्ता उर्फ विवेक गुप्ता पुत्र श्री शिव शक्ति गुप्ता निवासी गोला बाजार सदर थाना कैण्ट लखनऊ को आज दिनांक-19/10/2026 को अभियुक्त के घर से हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त सम्राट गुप्ता उर्फ विवेक गुप्ता उपरोक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

वादिनी मुकदमा के अन्तर्गत धारा-180/183 बीएनएस के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-64/78(2)/329(3)/333 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी व धारा- 78(1)(i),331(2) बीएनएस का लोप किया गया।

मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना अन्तर्गत धारा- 64/74/75(2)/78(2)/79/115(2)/329(3)/333/351(3)/352 बीएनएस में संपादित की जायेगी।

02-पंजीकृत अभियोग(अनावरित अभियोग)-

1. मु०अ०सं०- 52/2026 धारा- 64/74/75(2)/78(2)/79/115(2)/329(3)/333/351(3)/352 बीएनएस थाना गौतमपल्ली लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1- सम्राट गुप्ता उर्फ विवेक गुप्ता पुत्र श्री शिव शक्ति गुप्ता निवासी गोला बाजार सदर थाना कैण्ट लखनऊ उम्र-28 वर्ष।

04-अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं०- 356/2024 धारा- 115(2)/351(3) बीएनएस 3(1)(द)/3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015)

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण—

1. उ०नि० श्री अनिल भगत थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ०नि० श्री धीरेन्द्र कुमार थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ
3. का० निशांत सिंह थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ
4. का० शुभम कुमार थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ
5. म०का० चाँदनी पाण्डेय थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ
6. म०का० संध्या गौतम थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ
7. म०का० प्रियंका थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०- 1907

दिनांक-19.10.2026

जोन- मध्य / थाना-गौतमपल्ली

- थाना गौतमपल्ली पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक-21/08/2026 को वादिनी की लिखित तहरीर दी गयी जिसमें अभियुक्त द्वारा छेड़खानी करना, अश्लीलता करना, पीछा करना, धमकी देना, मारपीट व गाली-गलौज करना, तथा फोन पर भी गाली देना, झूठी अफवाह फैलाना आदि के संबंध में दी गयी तहरीर के आधार थाना गौतमपल्ली पर पंजीकृत मुकदमा मु०अ०सं०-52/26 धारा 74/75/78(1)(i)/79/115(2)/352/331(2)/351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त सम्राट गुप्ता उर्फ विवेक गुप्ता पुत्र श्री शिव शक्ति गुप्ता निवासी गोला बाजार सदर थाना कैण्ट लखनऊ की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष गौतमपल्ली द्वारा पुलिस टीम नियुक्त कर अभियुक्त उपरोक्त की सुरागरसी पतारसी व गिरफ्तारी हेतु लगाया गया।

उक्त मुकदमें में विवेक/पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस सेल तथा अन्य स्रोतों से मदद लेते हुये सुरागरसी पतारसी करते हुये मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सम्राट गुप्ता उर्फ विवेक गुप्ता पुत्र श्री शिव शक्ति गुप्ता निवासी गोला बाजार सदर थाना कैण्ट लखनऊ को आज दिनांक-19/10/2026 को अभियुक्त के घर से हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त सम्राट गुप्ता उर्फ विवेक गुप्ता उपरोक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

वादिनी मुकदमा के अन्तर्गत धारा-180/183 बीएनएस के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-64/78(2)/329(3)/333 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी व धारा- 78(1)(i),331(2) बीएनएस का लोप किया गया।

मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना अन्तर्गत धारा- 64/74/75(2)/78(2)/79/115(2)/329(3)/333/351(3)/352 बीएनएस में संपादित की जायेगी।

02-पंजीकृत अभियोग(अनावरित अभियोग)-

1. मु०अ०सं०- 52/2026 धारा- 64/74/75(2)/78(2)/79/115(2)/329(3)/333/351(3)/352 बीएनएस थाना गौतमपल्ली लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1- सम्राट गुप्ता उर्फ विवेक गुप्ता पुत्र श्री शिव शक्ति गुप्ता निवासी गोला बाजार सदर थाना कैण्ट लखनऊ उम्र-28 वर्ष।

04-अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं०- 356/2024 धारा- 115(2)/351(3) बीएनएस 3(1)(द)/3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015)

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण—

1. उ०नि० श्री अनिल भगत थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ०नि० श्री धीरेन्द्र कुमार थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ
3. का० निशांत सिंह थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ
4. का० शुभम कुमार थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ
5. म०का० चाँदनी पाण्डेय थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ
6. म०का० संध्या गौतम थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ
7. म०का० प्रियंका थाना गौतमपल्ली कमिश्नरेट लखनऊ